अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.3076 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.6394 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 946 रकबा 1.5864 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1044 रकबा 2.6952 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.6430 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.3634 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 593 रकबा 2.5900 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 784 रकबा 1.5540 हेक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 785 रकबा 1.1007 हेक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 860 रकबा 9.2268 हेक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 862 रकबा 1.1412 हेक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 863 रकबा 4.2816 हेक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 864 रकबा 4.3949 हेक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 865 रकबा 7.8185 हेक्टयर किस्म चाही सोयम में <u>उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड</u> में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)